UPBP010023382022

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, द्रुतगामी न्यायालय–प्रथम, बलरामपुर।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0–1127 / 2022

(कम्प्यूटरीकृत पंजीयन सं0–660 / 2022)

रमेश **बनाम** उ0प्र0 राज्य

मु0अ0सं0–222 / 2022
धारा–379, 411 भा0दं0संहिता
थाना–तुलसीपुर, जिला–बलरामपुर।

दिनांक–29.10.2022

आवेदक / अभियुक्त रमेश पुत्र मंगलदेव निवासी ग्राम बड़ेरिया थाना तुलसीपुर जिला बलरामपुर की ओर से मु0अ0सं0–222 / 2022 अं0धारा–379, 411 भा0दं0संहिता थाना–तुलसीपुर, जिला–बलरामपुर के मामले में प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र शपथिनी मुन्ना देवी के शपथपत्र से समर्थित है।

आवेदक / अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदक / अभियुक्त निर्दोष है। उसे महज रंजिशन हैरान व परेशान करने की नियत से उपरोक्त मुकदमे में फर्जी फंसाया गया है। उपरोक्त मुकदमे में कोई स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षी नहीं है। प्रार्थी के पास से किसी प्रकार का कोई चोरी का सामान बरामद नहीं हुआ है और न ही उक्त कथित चोरी की घटना की सूचना ही थाने में दी गयी। वादी मुकदमा ने किसी भी व्यक्ति को चोरी करते हुए नहीं देखा है। वादी मुकदमा से प्रार्थी की चुनावी साजिश चली आ रही है जिस कारण पार्टीबन्दी की वजह से प्रार्थी को झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी घर का तनहा व्यक्ति है और कई दिनों से जेल में है जिसके कारण उसके परिवार के लोग भुखमरी की कगार पर हैं। प्रार्थी के भागने अथवा गवाहों पर बेजा दबाव डालने की सम्भावना नहीं है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर आवेदक / अभियुक्त ने जमानत पर निर्मुक्त किये जाने की याचना की है।

राज्य की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि आवेदक / अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के ट्रैक्टर की बैट्री, पटिया, हिज चोरी किया गया जो अभियुक्त के पास से बरामद हुआ है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः आवेदक के जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 15.09.2022 की रात्रि में वादी मुकदमा संचितराम यादव के ट्रैक्टर की बैटरी, हिच व पटिया अज्ञात चोर चुरा ले गये जिसके सम्बन्ध में पता चलने पर दिनांक 17.09.2022 को 6.00 बजे शीतलापुर

वघेलखण्ड रोड जुनौद कबाडी की दुकान के सामने दो व्यक्तियों को मोटर साइकिल पर एक बोरी में बैटरी, हिच व पटिया के साथ पकड़ा गया, जिन्होंने अपना नाम रमेश एवं मुरली बताया। अभियुक्तगण को बरामद सामान व मोटरसाइकिल सहित थाना तुलसीपुर लाया गया। उक्त आशय के प्रार्थनापत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है।

सुना तथा संलग्न प्रपत्रों सहित पत्रावली का अवलोकन किया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियुक्त दिनांक 18.09.2022 से जिला कारागार, बलरामपुर में निरूद्ध है। प्रस्तुत मामला प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है। इस मुकदमे के सहअभियुक्त की जमानत पूर्व में माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बलरामपुर द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अतः न्यायालय गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदक/ अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार पाती है। तद्नुसार मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत आवेदक का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त रमेश का जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–379 व 411 भा0दं0संहिता स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त रमेश द्वारा व्यक्तिगत बन्ध पत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि पर दाखिल करने पर उसे जमानत पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन दौरान मुकदमा रिहा किया जाय :–

1. आवेदक/अभियुक्त विचारण में अनावश्यक विलम्ब कारित नहीं करेगा, यदि उसके द्वारा ऐसा किया जाता है, तो न्यायालय जमानत के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में विचार करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त साक्षीगण को प्रलोभन, धमकी या दबाव डालकर सुगम एवं शीघ्र विचारण में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा।

यह कि उक्त शर्तों का आवेदक/अभियुक्त द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी जमानत विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निरस्त की जा सकेगी।

दिनांक–29.10.2022

(जहेन्द्र पाल सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,
द्रुतगामी न्यायालय–प्रथम
बलरामपुर।

Digitally signed by JAHENDRA PAL SINGH
Date: 2022.11.07 10:47:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court